निगरानी 765-I-15

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

प्र0क्र0पीबीआर/2015/निगरानी

1- रामकुमार पुत्र सियाराम शरण

2- विनोद कुमार पुत्र सियाराम शरण

3- अवधरानी बेबा सियाराम शरण

निवासीगण- बिछोदना, तहसील भाण्डेर जिला दतिया .....प्रार्थीगण

बनाम

1- उर्मिला पुत्री सियारामशरण पत्नी मथुराप्रसाद लोधी निवासी - हेमसिंह की परेड़ ज्ञानीजैन का मकान, माधौगंज थाने के पास,लश्कर,ग्वालियर

2- गायत्री पुत्री सियारामशरण पत्नी रतीराम लोधी निवासी- ग्राम पुछी करगुवॉ, तहसील निवाड़ी, जिला टीकमगढ़ .....प्रतिप्रार्थीगण

श्री ... द्वारा आज दि. 13-4-15 को प्रस्तुत
13-4-15
for क्लर्क ऑफ़ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

13-4-15

निगरानी आवेदन धारा 50 भूराजस्व संहिता 1959 के तहत

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थीगणों की ओर से श्रीमान अपर आयुक्त महोदय ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 183/13-14/अपील में पारित आदेश दिनांक 24-3-2015 के विरूद्ध निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है -

प्रकरण का संक्षिप्त विवरणः-

यह कि, ग्राम बिछोदना तहसील भाण्डेर में स्थित खाता कमांक 358 रकवा 1.420 हेक्टर तथा खाता कमांक 558 रकवा 8.450 हेक्टर का भाग 1/2 के अभिलिखित भूस्वामी सियारामशरण थे। सियारामशरण प्रार्थी कमांक 1 व 2 के पिता तथा प्रार्थी कमांक 3 के पति थे, उनके द्वारा अपने जीवनकाल में हम प्रार्थीगणों के हक में वसीयत सम्पादित की थी

(112)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 765–एक/15 **जिला** –दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
11.9.15	आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 183/अपील/13–14 में पारित आदेश दिनांक 24.3.15 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 2– आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में बताया गया है कि सियाराम के द्वारा की गई वसियत के आधार पर तहसीलदार ने निगरानीकर्ता के पत्र में नामांतरण किया था तथा एक अन्य प्रकरण में गैरनिगरानीकर्ता का नामांतरण का आवेदन निरस्त किया था । अनावेदक द्वारा जन सुनवाई में अपर आयुक्त के समक्ष जाने पर अपर आयुक्त ने उन्हें अपील में जाने के निर्देश दिये, इसके बाद आनावेदक तहसीलदार से संबंधित दोनो प्रकरणों के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष एक ही अपील में गये । अनुविभागीय अधिकारी ने अपील अनावेदक के पक्ष में यह कहते हुये स्वीकार की कि तहसीलदार के समक्ष अनावेदक को कूट परीक्षण एवं साक्ष्य का अवसर नहीं मिला था । 3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया गया है कि प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया है जबकि अपील प्रकरण को प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता । अपर आयुक्त न्यायालय में निगरानीकर्ता को सहायता नहीं मिली । 4– प्रकरण में मेरे द्वारा उपलब्ध अभिलेख देखा गया । अभिलेखों के अवलोकन एवं तर्को पर विचार उपरांत मेरे द्वारा प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है समस्त हितबद्ध पक्षकारों को अपना अपना पक्ष समर्थन	

करने, साक्ष्यों के कूट परीक्षण करने आदि के समुचित अवसर देते हुये प्रकरण में नये सिरे से निर्णय पारित करें । यह निगरानी इन निर्देशें के साथ इसी स्तर पर समाप्त की जाती है ।

सदस्य